	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	भाद्र 12, गुरूवार, शाके 1942–सितम्बर 3, 2020 *Bhadra 12, Thursday, Saka 1942–September 3, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 15, 2020

संख्या प.10(39)कृषि/ग्रुप-2/76/पार्ट :-जैसाकि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत विद्यमान कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी क्षेत्रों में विज्ञप्त कृषि जिन्सों के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु निजी गौण मण्डी प्रांगण धोषित करने का निर्णय लिया है।

अतः अब राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरण के स्तम्भ 2 में वर्णित कृषि उपज मण्डी समितियों से संबधित मण्डी क्षेत्र में स्तम्भ 3 में वर्णित व्यक्ति द्वारा प्रबंधित गौण मण्डी प्रांगण स्थापित करने की धोषणा करती है, जिसकी सीमाओं का विवरण स्तम्भ 4 के अनुसार होगाः-

क्र.स.	कृषि उपज मण्डी समिति का नाम	गौण मण्डी प्रांगण प्रबन्धक व्यक्ति का विवरण	निजी गौण मण्डी प्रांगण की सीमा
1	2	3	4
1	फतहनगर	सिन्धु ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सिन्धु	सिन्धु ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सिन्धु द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
2.	उदयपुर (अनाज)	झाडौल वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि., झाडौल	झाडौल वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि., झाडौल द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
3.	उदयपुर (अनाज)	गिंगला वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि., गिंगला	वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि., गिंगला द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
4.	उदयपुर (अनाज)	मालपुर वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि., मालपुर	वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि., मालपुर द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
5.	उदयपुर (अनाज)	मानपुर वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि., मानपुर	मानपुर वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि., मानपुर द्वारा प्रबंधित संरचना एवं

			अहाता
6.	उदयपुर (अनाज)	उदयपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. उदयपुर	उदयपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. उदयपुर द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
7.	उदयपुर (अनाज)	झाडौल क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. झाडौल	झाडौल क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. झाडौल द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
8.	उदयपुर (अनाज)	गणेश क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. गोगुन्दा	गणेश क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. गोगुन्दा द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
9.	उदयपुर (अनाज)	सराड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. सराड़ा	सराड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. सराड़ा द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
10.	उदयपुर (अनाज)	सलुम्बर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. सलुम्बर	सलुम्बर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. सलुम्बर द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
11.	राजसमन्द	राज्यावास ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., राज्यावास	राज्यावास ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., राज्यावास द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
12.	राजसमन्द	मदारा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., मदारा	मदारा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., मदारा द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
13.	राजसमन्द	मण्डियाना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., मण्डियाना	मण्डियाना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., मण्डियाना द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
14.	राजसमन्द	रेलमगरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., रेलमगरा	रेलमगरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. रेलमगरा द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
15.	राजसमन्द	कांकरोली क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., कांकरोली	कांकरोली क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि, कांकरोली द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
16.	जैसलमेर	रामगढ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., रामगढ	रामगढ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., रामगढ द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
17.	जैसलमेर	मोहनगढ क्रय-विक्रय सहकारी समिति	मोहनगढ क्रय-विक्रय सहकारी

		लि., मोहनगढ	समिति लि., मोहनगढ द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
18.	जैसलमेर	नाचना क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., नाचना	नाचना क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि, नाचना द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
19.	जैसलमेर	पोकरण क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., पोकरण	पोकरण क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., पोकरण द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
20.	जैसलमेर	सुल्ताना क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सुल्ताना	सुल्ताना क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सुल्ताना द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
21.	जैसलमेर	सुल्ताना क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सुल्ताना	चांधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., चांधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., चांधन द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता
22.	जैसलमेर	फतेहगढ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., फतेहगढ	फतेहगढ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., फतेहगढ द्वारा प्रबंधित संरचना एवं अहाता

राज्य सरकार धोषणा करती है कि उक्त निजी गौण मण्डी प्रांगणों का उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 एवं धारा 2 की उपधारा 1 के खण्ड 10 से परिभाषित मार्केट प्रोपर नहीं होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से
लालचन्द गुर्जर,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।